11 Feb 22 Workshop on Intellectual Property Rights conducted at ICFAI University

संपूर्ण सत्य
रविवार 12 फरवरी 2022

इक्फाई विश्वविद्यालय में बौद्धिक संपदा अधिकार विषयक ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित

विशेष संवाददाता

रांची। इक्फाई विश्वविद्यालय, झारखंड ने पेटेंट कार्यालय,(उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार (कोलकाता) के सहयोग से बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) पर एक दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला के मुख्य वक्ता डॉ.रोहित राठौर, पेटेंट और डिजाइन के सहायक नियंत्रक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, (भारत सरकार) थे।

कार्यशाला में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए इक्फाई विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.ओआरएस राव ने कहा कि नए विचारों और नई तकनीकों के साथ लोग सफलतापूर्वक अपने पेशे व व्यवसाय में आगे बढ़ रहे हैं।

बौद्धिक संपदा के बलबूते सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। बौद्धिक संपदा को अंगीकार कर सबसे मूल्यवान संपत्ति बन रहे हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी यह समझें कि बौद्धिक संपदा क्या है, इसके निमार्ता के कानूनी अधिकार और उल्लंघनों से इसे कैसे बचाया जाए। इस संदर्भ में कार्यशाला छात्रों, शिक्षकों और कामकाजी पेशेवरों के लिए बहुत उपयोगी होगी।

डॉ. रोहित राठौर ने व्यावहारिक उदाहरणों के साथ विभिन्न प्रकार की बौद्धिक संपदा, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, भौगोलिक संकेत, सेमीकंडक्टर और लेआउट के बारे में बताया। भारत में आईपीआर के इतिहास का पता लगाते हुए उन्होंने कहा कि भारत में पहला पेटेंट 1856 में "कुशल पंखा खींचने वाली मशीन" के लिए दिया गया था। उन्होंने आवेदन की प्रक्रिया और पेटेंट प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड और अधिकारियों द्वारा ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि के पंजीकरण के बारे में बताया। उन्होंने उल्लंघन से बचाव के दिशा-निर्देश भी बताए। डॉ. राठौर ने सरकारी, निजी कॉर्पोरेट के साथ-साथ अन्य कामकाजी छात्रों के लिए कैरियर के अवसरों पर भी विस्तार से बताया। सत्र के अंत में कार्यशाला में उपस्थित लोगों के साथ प्रश्नोत्तर का दौर हुआ, जिसके बाद एक रोचक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हुआ।

कार्यक्रम का संचालन विधि संकाय की प्रोफेसर आकृति गुप्ता ने किया। धन्यवाद प्रस्ताव प्रो. अरविन्द कुमार, कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रो. आलोक कुमार ने किया। कार्यक्रम में सभी विषयों के छात्र, संकाय सदस्य, कामकाजी पेशेवर, युवा और उद्यमी शामिल हुए।

पूर्वांचल सूर्य
रांची, शनिवार 12 फरवरी 2022

इक्फाई विश्वविद्यालय में बौद्धिक संपदा अधिकार विषयक ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित

बौद्धिक संपदा अधिकार की रक्षा जरूरी : प्रो. ओआरएस राव

विशेष संवाददाता

रांची। इक्फाई विश्वविद्यालय, झारखंड ने पेटेंट कार्यालय,(उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार (कोलकाता) के सहयोग से बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) पर एक दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला के मुख्य वक्ता डॉ.रोहित राठौर, पेटेंट और डिजाइन के सहायक नियंत्रक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, (भारत सरकार) थे।

कार्यशाला में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए इक्फाई विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.ओआरएस राव ने कहा कि नए विचारों और नई तकनीकों के साथ लोग सफलतापूर्वक अपने पेशे व व्यवसाय में

आगे बढ़ रहे हैं। बौद्धिक संपदा के बलबूते सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। बौद्धिक संपदा को अंगीकार कर सबसे मूल्यवान संपत्ति बन रहे हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी यह समझें कि बौद्धिक संपदा क्या है, इसके निर्माता के कानूनी अधिकार और उल्लंघनों से इसे कैसे बचाया जाए। इस संदर्भ में कार्यशाला छात्रों, शिक्षकों और कामकाजी पेशेवरों के लिए बहुत उपयोगी होगी। डॉ. रोहित राठौर ने व्यावहारिक उदाहरणों के साथ विभिन्न प्रकार की बौद्धिक संपदा, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, भौगोलिक संकेत, सेमीकंडक्टर और लेआउट के बारे में बताया। भारत में आईपीआर के इतिहास का पता लगाते हुए उन्होंने कहा कि भारत में पहला पेटेंट 1856 में "कुशल पंखा खींचने वाली मशीन" के लिए दिया गया था। उन्होंने आवेदन की प्रक्रिया और पेटेंट प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड और अधिकारियों द्वारा ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि के पंजीकरण के बारे में बताया। उन्होंने उल्लंघन से बचाव के दिशा-निर्देश भी बताए। डॉ. राठौर ने सरकारी, निजी कॉर्पोरेट के साथ-साथ अन्य कामकाजी छात्रों के लिए कैरियर के अवसरों पर भी विस्तार से बताया। सत्र के अंत में कार्यशाला में उपस्थित लोगों के साथ प्रश्नोत्तर का दौर हुआ, जिसके बाद एक रोचक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हुआ।

कार्यक्रम का संचालन विधि संकाय की प्रोफेसर आकृति गुप्ता ने किया। धन्यवाद प्रस्ताव प्रो. अरविन्द कुमार, कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रो. आलोक कुमार ने किया। कार्यक्रम में सभी विषयों के छात्र, संकाय सदस्य, कामकाजी पेशेवर, युवा और उद्यमी शामिल हुए।

नया विचार ही सफल व्यवसाय बन रहा : प्रो राव

रांची. इक्फाइ विवि के कुलपति प्रो ओआरएस राव ने कहा है कि आज की दुनिया में कोई भी नया विचार सफलतापूर्वक व्यवसाय बन जा रहा है. साथ ही इस तरह की बौद्धिक संपदा सबसे मूल्यवान संपत्ति बन रही है. इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम सभी यह समझें कि बौद्धिक संपदा क्या है. कुलपति शुक्रवार को विवि में पेटेंट कार्यालय (उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, कोलकाता के सहयोग से बौद्धिक संपदा अधिकारों (आइपीआर) पर आयोजित ऑनलाइन कार्यशाला में बोल रहे थे. डॉ रोहित राठौर ने कहा कि भारत में पहला पेटेंट 1856 में कुशल पंखा खींचने वाली मशीन के लिए दिया गया था. उन्होंने सरकारी, निजी कॉरपोरेट के साथ अन्य कामकाजी छात्रों के लिए करियर के अवसरों पर भी विस्तार से बताया. संचालन प्रो आकृति गुप्ता व प्रो आलोक कुमार व धन्यवाद ज्ञापन प्रो अरविंद कुमार ने किया.

प्रभात खबर
Sat, 12 February 2022
https://epaper.prabhatkhabar.com/c

Morning India
For TV, e-paper & news visit: www.live7tv.com
Ranchi, Saturday
February 12, 2022

Workshop on Intellectual Property Rights conducted at ICFAI University

ICFAI University, Jharkhand, in collaboration with The Patent Office, Kolkata, under Department for Promotion of Industry & Internal Trade, Ministry of Commerce &Industry, Government of India, conducted a 'One Day Online Workshop on Intellectual Property Rights (IPR). The resource person for the webinar was Dr. RohitRathore, Assistant Controller of Patents & Designs, Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India.

Welcoming the participants to the workshop, Prof O R S Rao, Vice-Chancellor of University,Jharkhand said, "In today's world, Ideas are creating and growing businessessuccessfully, thus making Intellectual Property the most valuable asset. So, it is very important that all of us understand what constitutes Intellectual Property, legal rights of its creator and how to protect it against violations. In this context, today's workshop will be of immense use for students, faculty and working professionals."

Dr. RohitRathoreexplained, with practical examples, various types of Intellectual Property,like Patent, Trademark, Copyright, Design, Geographic Indications, Semiconductor and Layout.

Tracing the history of IPr in India, he said that the first patent in India was granted in 1856 for "efficient pankah pulling machine". He explained the process of application and criteria used for grant of patents and registration of Trademark, Copyright etc by the authorities. He also explained guidelines on how to protect from infringements.DrRathore also elaborated on the career opportunities for students in

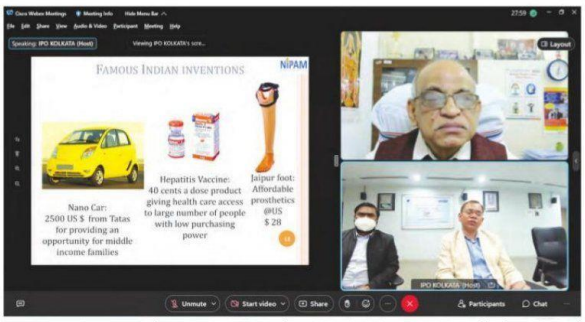

government, private corporate as well as practitioners. At the end of the session there was a question and answer round with attendees of the workshop, followed by an interesting quiz program.

Akriti Gupta, Faculty of Law anchored the event. The vote of thanks was proposed by Prof. Arvind Kumar, Registrar. The program was co-ordinated by Prof. AlokKumar. A large number of students of all disciplines, faculty members, working professionals, young innovators and Entrepreneurs attended the program.

About the ICFAI University Jharkhand: The ICFAI University, Jharkhand (IUJ) belongs to the ICFAI University Group (IUG), which pioneered Professional Education in India.

IUJ was established under ICFAI University Act, 2006 (Jharkhand Act 08, 2007), which was passed by the State Legislature of Jharkhand and was notified by Government of Jharkhand on 17th June 2008.

The University was empowered by UGC vide its letter dated 1st Dec2009 to award degrees under Section 22 of UGC Act, 1956.

IUJ is committed to grooming its students into Competent Professionals, with Good Personal Values and Ethics.

IUJ offers a range of vocation oriented Under Graduate and Post Graduate programmes, which include, MBA, B Tech, BTech (Lateral entry) BBA, BBA-LLB, BA(Hons)BCom(Hons), BCA and Diploma in Technology (Polytechnic).

Besides excellent infrastructure like well furnished class rooms, laboratories, workshops and library, IUJ has well qualified and experienced faculty members. Special features of IUJ programs include Contemporary curriculum, Summer Internships with industry, Live projects, Technology Enhanced Learning and Campus placement assistance.

More details on IUJ can be found by visiting its website at www.iujharkhand.edu.in or its Face Book page at www.facebook.com/icfai-jharkhand.

Sat, 12 February 2022
https://epaper.sanmarglive.com/c/66198792

LTB
लोकतंत्र भारत
राज्य
रांची, शनिवार
12 फरवरी 2022
03

इक्फाई विवि में बौद्धिक संपदा अधिकार पर कार्यशाला आयोजित

लोकतंत्र भारत संवाददाता

रांची : इक्फाई विश्वविद्यालय, झारखंड ने पेटेंट कार्यालय (उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, कोलकाता के सहयोग से बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) पर एकदिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला के संसाधन व्यक्ति डॉ. रोहित राठौरए पेटेंट और डिजाइन के सहायक नियंत्रक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के थे। कार्यशाला में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए झारखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ओआरएस राव ने कहा 'आज की दुनिया में कोई भी नया विचार ही सफलतापूर्वक व्यवसाय बना रहे हैं और इस प्रकार के बौद्धिक संपदा सबसे मूल्यवान संपत्ति बन रहे हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी यह समझें कि बौद्धिक संपदा क्या है, इसके निर्माता के कानूनी अधिकार और उल्लंघनों से इसे कैसे बचाया जाए। इस संदर्भ में, आज की कार्यशाला छात्रों, शिक्षकों और कामकाजी पेशेवरों के लिए बहुत उपयोगी होगी। डॉ. रोहित राठौर ने व्यावहारिक उदाहरणों के साथ विभिन्न प्रकार की बौद्धिक संपदा जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, भौगोलिक संकेत, सेमीकंडक्टर और लेआउट के बारे में बताया। भारत में आईपीआर के इतिहास का पता लगाते हुए उन्होंने कहा कि भारत में पहला पेटेंट 1856 में 'कुशल पंखा खींचने वाली मशीन' के लिए दिया गया था। उन्होंने आवेदन की प्रक्रिया और पेटेंट प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड और अधिकारियों द्वारा ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि के पंजीकरण के बारे में बताया। उन्होंने उल्लंघन से बचाव के दिशा-निर्देश भी बताए। डॉ. राठौर ने सरकारी, निजी कॉर्पोरेट के साथ-साथ अन्य कामकाजी छात्रों के लिए कैरियर के अवसरों पर भी विस्तार से बताया। सत्र के अंत में कार्यशाला में उपस्थित लोगों के साथ प्रश्नोत्तर का दौर हुआ, जिसके बाद रोचक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का संचालन विधि संकाय की प्रोफेसर आकृति गुप्ता ने किया। धन्यवाद प्रस्ताव प्रो. अरविन्द कुमार, कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रो. आलोक कुमार ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सभी विषयों के छात्र, संकाय सदस्य, कामकाजी पेशेवर, युवा नव प्रवर्तनकर्ता और उद्यमी शामिल हुए।

इक्फाई विवि में संपदा अधिकार पर कार्यशाला

रांची: इक्फाई विश्वविद्यालय और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को बौद्धिक संपदा के अधिकार पर ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में डा पेटेंट और डिजाइन के सहायक नियंत्रक डॉ रोहित राठौर संसाधन व्यक्ति के रूप में शामिल हुये। कार्यक्रम इक्फाई विवि के वीसी प्रोफेसर आरएस राव ने कहा कि व्यवसाय में नये विचार लानेवालों को भारी सफलता मिल रही है। उन्होंने कहा कि बौद्धिक संपदा सबसे कीमती संपत्ति है। डॉ रोहित राठौर ने विभिन्न उदाहरणों के साथ विभिन्न प्रकार के बौद्धिक संपदाओं यथा ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, भौगोलिक संकेत, सेमीकंडक्टर और लेआउट के बारे में बताया। उन्होंने पेटेंट प्रदान करने के लिये उपयोग किये जानेवाले मानदंड और अधिकारियों द्वारा ट्रेडमार्क कॉपीराइट के पंजीकरण के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन विधि संकाय की प्रोफेसर आकृति गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में विवि के कुलसचिव प्रो अरविंद कुमार, विभिन्न संकायों के सदस्य समेत कई विद्यार्थी शामिल हुये।